न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 36/2023

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 पूनाराम पुत्र पाबूराम 2 कालूराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 भलाराम के का.मु. 1/1 ओमाराम पुत्र भलाराम 1/2 प्रेमाराम पुत्र भलाराम 1/3 प्रहलादराम पुत्र भलाराम 1/4 रामकुंवार पुत्र भलाराम 1/5 सुरेश पुत्र भलाराम 1/6 सुनिल पुत्र भलाराम 1/7 गोगा देवी पुत्री भलाराम 1/8 सरोज पुत्री भलाराम 1/9 राजू देवी पत्नी भलाराम 2 उर्जाराम पुत्र नानगराम 3 भोमाराम पुत्र नानगराम 4 लिखमाराम पुत्र पाबूराम 5 सूरताराम पुत्र पाबूराम जातियान कुम्हार निवासीगण माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर। 6 पटवारी हल्का माडपुरा 7 तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/6 व 1/9 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गौड अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 1/5, 1/7 से 1/8, 2 व 3 की ओर से।
4. श्री चेनाराम प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से।
5. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 07 की ओर से।

दिनांकः 01.05.2025

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर के प्रकरण संख्या 357/2022 भलाराम बनाम चेतनराम में निर्णय दिनांक 10.02.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.11.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 14.11.22 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/6 व 1/9 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 1/5, 1/7 से 1/8, 2 व 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश गौड अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री चेनाराम प्रजापत अधिवक्ता ने वकालनतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 357/22 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया था न ही आदेश से पूर्व अपीलांट को सूचित किया गया इसलिए जैर अपील आदेश की अपीलांट को जानकारी नहीं हुई अब दिनांक 07.11.22 को रेस्पोडेंट एकराय होकर मौके पर आये और अपीलांट व रेस्पोडेंट के खेत के मध्य कायम पुरानी सीमा माठ पर तोडफौड कर व नष्ट कर नया कब्जा करने का प्रयास शुरू किया और अपीलांट के खेत की सीमा पर परिवर्तन करने का प्रयास शुरू किया तब अपीलांट ने मना किया तो रेस्पोडेंट ने कहा कि सीमा माठ यह नहीं है तथा सीमा माठ गलत है और नई सीमा माठ कायम करने का आदेश भी हो रखा है इसलिए पुरानी सीमा माठ को हटायेंगे, तब दिनांक 08.11.22 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास गये और पटवारी हल्का से पूछताछ की तो पटवारी हल्का ने कहा कि तहसीलदार ने तरमीम संशोधन का आदेश पारित किया है तब अपीलांट ने दिनांक 09.11.22 तहसील कार्यालय खींवसर जाकर पता किया व आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिस आदेश की नकल दिनांक 10.11.22 को प्राप्त हुई तो आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुइ फिर दिनांक 11.11.22 को नागौर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया व अपील तैयार करवाई गई फिर दिनांक 12.11.2022 व 13.11.2022 को राजकीय अवकाश होने के कारण यह अपील अविलम्ब अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की गई, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

01/5/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– जैर अपील आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के खिलाफ व विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– जैर अपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ है क्योंकि अपीलांट संख्या 2 के पिता को पक्षकार बनाया था लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही अन्य सहखातेदारों को कोई सूचना व नोटिस जारी किया गया और बिना कोई सूचना जारी किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जिस आदेश से अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है जबकि प्रत्येक आवश्यक व हितबद्व व प्रभावी पक्ष को पक्षकार बनाया जाना व उसे सुना जाना कानूनी रूप से आवश्यक व न्यायोचित होता है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है जो भू.अ.नि. भेड के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जबकि आदेश के दिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.02.2022 को पारित किया है और पटवारी हल्का को उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.03.22 को नोटिस जारी किया गया है जिससे प्रतीत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट होते हुए भी गलत रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है और भू.अ.नि. ने जौ मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह तहसीलदार के आदेश से पूर्व ही बिना कोई आदेश के होते हुए भी दिनाकं 07.03.2022 को तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है वह बिना कोई आधार व बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही आदेश पारित किया गया है जो आदेश कानूनी रूप से विधिविरूद्व होने से स्वतः ही अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–तरमीम व आदेश से जिस खेत का परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन करने से जिस खेत का व रेकर्ड का परिवर्तन किया जाता है तो उसके खातेदार को पक्षकार बनाया जाना व उसे सुना जाना अति आवश्यक होता है। जबकि रेस्पोडेंट भलाराम ने प्रभावित होने वाले पक्षकार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया और खसरा नम्बर 1023/687 के सहखातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–खेत खसरा नम्बर 1023/687 जिसे हाल खसरा नम्बर 1716/1023 की जो तरमीम हो रखी है वह तरमीम मौके अनुसार सही है तथा उक्त खेत के नक्शे में परिवर्तन करने पर अपीलांट के खेत का नक्शा में भी प्रभाव पडेगा जिससे अपीलांट आवश्यक व हितबद्व पक्षकार था फिर भी पक्षकार नहीं बनाया गया तथा भलाराम के वारीसान अपने खातेदारी के हिस्से से अधिक काबिज है और अपने खातेदारी में दर्ज हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने की नियत से गलत तरमीम करवाने का आदेश पारित करवाया गया है तथा उक्त आदेश की पालना होने पर अपीलांट के खातेदारी की भूमि कम हो जायेगी और गलत तरमीम के आधार पर रेस्पोडेंट अपीलांट की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास करेंगे जिससे अपीलांट के हितों पर पूर्ण रूप से विपरीत प्रभाव पडेगा और भलाराम ने अपीलांट के बाले बाले ही गलत रूप से आदेश पारित करवाया गया है जिस आदेश की आड मे मौके पर व रेकर्ड में परिवर्तन करने की पूर्ण संभावना है जबकि जो पूर्व में अपीलांट के खातेदारी के खेत व खसरा नम्बर 1716/1023 की तरमीम हो रखी है जो बिल्कुल सही है उक्त तरमीम में कोई परिवर्तन करने योग्य नहीं है। लेकिन अपीलांट के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से गलत रूप से आदेश पारित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–आवेदन में वर्णित खेत खसरा नम्बर व मौका रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बर व राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नम्बर व रकबा मेल भी नहीं खाता है भिन्न–भिन्न हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 10.02.2022 को पारित किया गया है तथा इस प्ररकण में चेतनराम पक्षकार था और चेतनराम का आदेश से पूर्व ही दिनांक 02.07.2021 को देहान्त हो गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया आदेश कानूनी रूप से स्वतः ही अवैध व शून्य होता है ऐसी दशा में जैर अपील आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

01/5/22

अपर कलक्टर, चूरू

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है वह मौका रिपोर्ट मौके पर आये बिना ही अपीलांट को बिना सूचित किये व बिना कोई नाप चौप किये एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है जो रिपोर्ट बिना किसी आदेश के तैयार की गई रिपोर्ट है वह मौका रिपोर्ट अपीलांट के पीठ पीछे तैयार की गई रिपोर्ट है ऐसे दस्तावेज की कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं होती है। इसलिए भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है क्योंकि रेस्पोडेंट भलाराम के खेत के चिपते ही अपीलांट का खेत आया हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने पर अपीलांट के खातेदारी के खेत के नक्शे में भी परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन के कारण अपीलांट का खेत कम होने की संभावना रहेगी औ मौके पर पुरानी सीमा माठ को नष्ट कर नया अतिक्रमण करने की संभावना रहेगी। जिससे अपीलांट का प्रत्यक्ष रूप से हित प्रभावित होगा और खसरा नम्बर 1018/687 के खातेदारी चेतनराम को पक्षकार बनाया गया है लेकिन चेतनराम वगैरा के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने वगैरा वगैरा अंकित कर रखा है तथा किस किस व्यक्ति को पक्षकार बनाया है पक्षकार के संबंध में स्पष्ट नहीं है, जबकि अपीलांट का जैर अपील आदेश से प्रत्यक्ष रूप से हित प्रभावित हो रहा है इसलिए अपीलांट आवश्यक व हितबद्व पक्षकार है।

{3}–रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/6 व 1/9 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/9 के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे ग्राम माडपुरा के खेत खसरा नं. 1023/687 से संबंधित खसरे मे गलत तरमीम होने से आवेदन पेश करने पर तहसीलदार खींवसर द्वारा जो आदेश दिनांक 10.02.2022 जारी किया, वो सही एवं उचित होने से आदेश यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर के प्रकरण संख्या 357/2022 भलाराम बनाम चेतनराम में निर्णय दिनांक 10.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि भू अभिलेख निरीक्षक भेड ने मौका रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जबकि मौका रिपोर्ट आने से पूर्व ही तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.02.2022 को परित कर दिया, जिससे उक्त आदेश की वैधानिकता पर संशय पैदा होता है। अपीलांट्स को आदेश जैर अपील से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। आदेश जैर अपील विधिक प्रक्रिया के तहत पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार खींवसर के प्रकरण संख्या 357/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षो को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत् गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/5/22

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर